सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 863 राँची, बुधवार

18 अग्रहायण, 1937 (श०)

9 दिसम्बर, 2015 (ई०)

योजना-सह- वित्त विभाग

संकल्प

8 दिसम्बर, 2015

विषय: **राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01 जुलाई, 2015 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि ।**

संख्या: वि.प्र. 6ए-12/2013/3570/वि०--वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28 फरवरी, 2009 के द्वारा राज्य सेवीवर्ग को दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संकल्प की कंडिका-15(E) एवं तदोपरांत वित्त विभागीय संकल्प के द्वारा राज्य सेवीवर्ग को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है ।

2. वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28 फरवरी, 2009 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कतिपय कर्मियों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में सम्मिलित नहीं होने का विकल्प दिया गया है । इसके अलावे कतिपय पद/सेवा का वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है। फलस्वरूप वे अपुनरीक्षित वेतनमान में ही वेतन प्राप्त कर रहे हैं ।

3. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र संख्या 1/3/2008-E.II(B), दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 के द्वारा केन्द्र सरकार के वैसे कर्मी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के लिए दिनांक 01 जुलाई, 2015 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर 223% (दो सौ तेइस प्रतिशत) से बढ़ाकर 234% (दो सौ चैंतीस प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है। केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के अधीन अपुनरीक्षित

वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों के महँगाई भत्ता के दर में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार के वैसे संवर्ग/कर्मी जो अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं अथवा जिनके वेतनमानों का पुनरीक्षण नहीं हुआ है, को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01 जुलाई, 2015 के प्रभाव से अपुनरीक्षित वेतन (मूल वेतन + महँगाई वेतन) का 234% (दो सौ चैंतीस प्रतिशत) महँगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

5. झारखंड सेवा संहिता के नियम 34 (ए) में यथा परिभाषित मूल वेतन (मूल वेतन + महँगाई वेतन) पर महँगाई भत्ता देय होगा। मूल वेतन के अतिरिक्त गत्यावरोध वेतन वृद्धि पर महँगाई भत्ता देय होगा, किन्तु विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर महँगाई भत्ता देय नहीं होगा ।

6. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र के बिना प्रतीक्षा किये देय भुगतान औपबंधिक आधार पर तत्काल किया जायेगा ।

7. महँगाई भत्ता की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चत्तर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 3363/वि॰ दिनांक 20 नवम्बर, 2015 के क्रम में दिनांक 24 नवम्बर, 2015 की बैठक के मद सं॰ 14 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,
सरकार के प्रधान सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 863—50 ।